

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/प्रदू0(अनु0)-85/2019

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री कृष्ण कुमार,
पिता-श्री फनीन्द्र प्रसाद यादव,
पता-ग्राम-कृष्णापुरी बलुआही, थाना- खगड़िया,
जिला- खगड़िया, बिहार- 851204

विषय :- प्रस्तावित वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने हेतु सहमति-पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल कृष्णापुरी बलुआही, वार्ड नं- 24, थाना- खगड़िया, जिला- खगड़िया, बिहार- 851204 पर वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा समर्पित कागजातों की जाँचोपरान्त प्रस्तावित स्थल पर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सहमति-पत्र मिलने के एक माह के अन्दर आपके द्वारा वाहन प्रदूषण जाँच हेतु अपेक्षित उपकरणों (यथा-स्मोक मीटर एवं गैस एनालाईजर) का क्रय अवश्य कर लिया जाएगा। जाँच उपकरण(यथा-स्मोक मीटर एवं गैस एनालाईजर) अधिष्ठापित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक का फोटो युक्त जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया जाय।

तदोपरान्त जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गमन की कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक-04/प्रदू0(अनु0)-85/2019

92/6

पटना, दिनांक-

13/12/19

प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/मोटरयान निरीक्षक, सीतामढ़ी/आई0 टी0 मैनेजर एवं श्री आफताब रहमानी, पी0एम0यू0 लीड, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।